रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274617
CG-DL-E-20072026-274617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948
No. 569]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 627(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70ख की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (यड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (महानिदेशक के सिवाय) के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महानिदेशक के सिवाय, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के अधिकारियों और कर्मचारियों के सूचना प्रौद्योगिकी, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सरकार" से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या भारत सरकार का कोई अन्य मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है जो भारत सरकार के कारबार के आबंटन नियमों के अनुसार समय-समय पर भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के कार्यालय के साथ प्रशासनिक रूप से संबद्ध है;

(ग) "भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल" को आईसीईआरटी या सीईआरटी-इन के रूप में संदर्भित किया जा सकेगा, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 70ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित और नियुक्त सरकारी इकाई और उक्त अधिनियम की धारा 70ख की उपधारा (4) में निर्दिष्ट साइबर सुरक्षा कार्यों का निर्वहन करने के लिए घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय अभिकरण के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (पक) के अधीन परिभाषित अभिप्रेत है;

(घ) "भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के अधिकारी और कर्मचारी" से उक्त अधिनियम की धारा 70ख की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी (महानिदेशक के सिवाय) अभिप्रेत हैं; और

(ङ) उन शब्दों और पदों में, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. पदों की श्रेणी और भर्ती की रीति.- आईसीईआरटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की अनुसूची और भर्ती की रीति, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन), समूह 'क' और 'ख' पद, भर्ती नियम, 2017 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

4. वेतन, भत्ते और दूसरे फायदे.- केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और दूसरे फायदों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियम और आदेश, आईसीईआरटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी यथाआवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

5. आवासन और मकान का किराया भत्ता.- आईसीईआरटी के अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे मकान किराया भत्ता जैसा कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर अनुज्ञेय या लागू है, संबंधित श्रेणी या वेतन स्तर के अनुसार लागू मानदंड के लिए पात्र होंगे।

6. शासकीय दौरे, अंतरण आदि पर यात्रा.- आईसीईआरटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी आईसीईआरटी द्वारा अपेक्षित होने पर भारत में या विदेश में किसी स्थान पर शासकीय ड्यूटी के लिए दौरे पर जा सकता है, जिसके लिए उसे यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और केन्द्रीय सरकार के समतुल्य श्रेणी के कर्मचारियों को देय अन्य भत्ते दिए जाएँगे।

7. चिकित्सीय सुविधा.- आईसीईआरटी के अधिकारी और कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधाएं) नियम, 2019 के अनुसार प्रदान की गई मेडिकल सुविधाओं के हकदार होंगे।

8. पेंशन योजना.- केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, आईसीईआरटी के उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो पहले से किसी भी पिछली योजना के अधीन आच्छादित नहीं हैं।

9. उपदान.- समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उपदान का भुगतान) नियम, 2021 के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त आईसीईआरटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे।

10. प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों का पेंशन योगदान और भविष्य निधि.- (1) केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आईसीईआरटी में नियुक्त किए गए अधिकारी और कर्मचारी, उनके मूल काडर या विभाग में, जैसा भी मामला हो, उन पर लागू पेंशन और भविष्य निधि स्कीम के अधीन आते रहेंगे, और आईसीईआरटी ऐसे कर्मचारी से पेंशन के लिए योगदान करेगा और भविष्य निधि के लिए योगदान वसूल करेगा और रकम तुरंत संबंधित विभाग को भेज देगा, विलंब संदाय के कारण ब्याज का कोई भी नुकसान आईसीईआरटी उठाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आईसीईआरटी में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी, उनके मूल संगठन में उन पर लागू योजना के अनुसार पेंशन, अंशदायी भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान के पात्र होंगे।

11. छुट्टी.- (1) अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी सेवक को स्वीकार्य छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं, उक्त नियमों के अधीन लागू शर्तों के अधीन, और इसमें प्रदान की गई अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए पात्र होंगे।

(2) अधिकारी और कर्मचारी उस सीमा तक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य है।

12. छुट्टी यात्रा रियायत.- केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, आईसीईआरटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे।

13. आचरण और अनुशासनात्मक मामले.- (1) सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उक्त नियमों के अधीन भारत संघ के कार्यकलापों के संबंध में किसी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति पर लागू होते हैं।

(2) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के भाग 4 से भाग 9 में अंतर्विष्ट उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, उक्त नियम 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उक्त नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी पर लागू होते हैं।

(3) उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार होगा:

क्रम संख्या (1)	पदों का वर्गीकरण (2)	नियुक्ति/अनुशासनात्मक प्राधिकारी (3)
1.	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य।	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
2.	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य।	सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
3.	केंद्रीय सरकार में समूह 'ग' पद के समतुल्य।	महानिदेशक, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल

14. सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें.- उपर्युक्त नियम 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और निबंधनों से संबंधित कोई मामला, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार को उसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

[फा. सं. 01(02)/2026-पी.III]

अमितेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

G.S.R. 627(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ze) of sub-section (2) of section 87, read with sub-section (3) of section 70B of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the terms and conditions of service of officers and employees of Indian Computer Emergency Response Team (except Director General), namely:-

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Information Technology, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of officers and employees of the Indian Computer Emergency Response Team except Director General Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "**Act**" means the Information Technology Act 2000, (21 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act);

(b) "Central Government" means the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India or any other Ministry or Department of Government of India which is administratively concerned with the office of Indian Computer Emergency Response Team from time to time, as per Allocation of Business rules of Government of India;

(c) "Indian Computer Emergency Response Team" may be referred **as** ICERT or CERT-In means the Government entity established and appointed under sub-section (1) of section 70B of the said Act and defined under clause (ua) of sub-section (1) of section 2 of the said act as a national agency for incident response to discharge the cyber security functions referred in sub-section(4) of section 70B of the saidAct;

(d) "**officers and employees of the Indian Computer Emergency Response Team**" means the officers and employees (except Director General) appointed under sub-section (2) of section 70B of the said Act; and

(e) All other words and expression used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act;

3. Categories of Posts and Method of Recruitment.- The Schedule of posts and method of recruitment of the officers and employees of ICERT shall be regulated in accordance with the Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Group 'A' and 'B' Posts, Recruitment Rules, 2017.

4. Pay, allowances and other benefits.– The rules and orders issued by the Central Government, from time to time, to govern the pay, allowances and other benefits of employees of the Central Government shall *mutatis mutandis* apply to the officers and employees of the ICERT.

5. Accommodation and house rent allowance.– The officers or employees of the ICERT, shall be eligible for such house rent allowance as are admissible or applicable to the employees of the Central Government in the corresponding grade or pay level from time to time in accordance with the applicable norms.

6. **Travel on official tours, transfer etc.–**An officer or employee of the ICERT shall be liable to proceed on tour for official duty to any place within India or abroad as and when so required by the ICERT for which he may be paid travelling allowance, daily allowance and such other allowances as admissible to the employees of the Central Government of corresponding grade.

7. Medical Facility.- The officers and employees of the ICERT shall be entitled to medical facilities as provided in accordance with Ministry of Electronics and Information Technology, Indian Computer Emergency Response Team (Medical Facilities for the officer and employees) Rules, 2019.

8. Pension scheme– The provisions of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, shall, *mutatis mutandis*, be applicable on the officers and employees of the ICERT, other than those already covered under any previous scheme.

9. Gratuity.– The provisions of Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, as amended from time to time, shall, *mutatis mutandis*, be applicable on the officers and employees of the ICERT, other than those on deputation.

10. Pension contribution and provident fund of persons on deputation.–(1) The officers and employees appointed in ICERT on deputation from the Central Government shall continue to be governed by the pension and provident fund scheme as are applicable to them in their parent cadre or Department, as the case may be, and the ICERT shall make contribution towards pension and recover contribution towards provident fund from such employees and remit the amount immediately to the concerned Department, any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the ICERT.

(2) The officers and employees appointed in ICERT on deputation from organisations other than the Central Government shall be eligible for contribution towards pension, contributory provident fund and retirement benefits as per the scheme applicable to them in their parent organisation.

11. Leave.—(1) The officers and employees may avail of such kinds of leaves as are admissible to a Government servant under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, subject to the conditions applicable under the said rules, and shall be eligible for encashment of earned leave as provided therein.

(2) The officers and employees shall be entitled to casual leave to such extent as is admissible to a Government servant under instructions issued by the Central Government.

12. Leave travel concession.— The Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988, shall, *mutatis mutandis*, be applicable to the officers and employees of ICERT.

13. Conduct and Disciplinary matters.—(1) The provisions of the Civil Service (Conduct) Rules, 1964, shall, *mutatis mutandis*, apply to the officers and employees in like manner as applicable to a person appointed to a civil service or post in connection with the affairs of the Union of India under the said rules.

(2) The provisions contained in Part IV to Part IX of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply, *mutatis mutandis*, to the officers and employees appointed under rule 3 above, in like manner as applicable to a Government servant under the said rules.

(3) The Appointing and Disciplinary Authority for the purpose of sub-rule (2) shall be as follows:

Sl. No. (1)	**Classification of Posts** (2)	**Appointing/Disciplinary Authority** (3)
1.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Minister of Electronics and Information Technology
2.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government.	Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology
3.	Equivalent to Group 'C' post in the Central Government.	Director General, Indian Computer Emergency Response Team

14. Other terms and conditions of service.- Any matter relating to the terms and conditions of service of the officers and employees appointed under rule 3 above, in respect of which no express provision has been made in these rules, shall be referred to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government on the same shall be final.

[F. No. 01(02)/2026-P.III]

AMITESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.20 15:54:09 +05'30'